

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2580]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936
No. 2580]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3216(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2798 (अ), तारीख 3 नवम्बर, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 3 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित की गई थी तथा जिसका उत्तरवर्ती संशोधन का.आ. 1377 (अ), तारीख 10 जून, 2010 के तहत जारी किया गया था, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, जिला “चन्दौली” से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, कॉलम (7) में, प्रविष्टि “(18) मुहब्बतपुर” के पश्चात् क्रम संख्या 18क पर एक अतिरिक्त गांव “रामपुर उर्फ अकबरपुर” अंतः स्थापित किया जाएगा ।

[फा.सं. भाराराप्रा/11013/01/2014—एलए/नोटिफ/पीआईयू—वाराणसी]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी:— मूल अधिसूचना का.आ. 2798 (अ), तारीख 3 नवम्बर, 2009, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में, तारीख 3 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित की गई थी और उसका संशोधन का.आ. 1377 (अ), तारीख 10 जून, 2010 के तहत प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2014

S.O. 3216(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2798(E) dated the 03rd November, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), dated the 03rd November, 2009 & subsequent amendment issued under S.O. 1377 (E) dated 10th June, 2010 namely:-

In the Schedule to the said notification, against serial number 2 relating to District “Chandauli”, in column (7) after entry “(18) Mohabbatpur” additional village Rampur alias Akbarpur having serial number 18A may be inserted.

[F. No. NHAI/11013/01/2014-LA/Notif./PIU-Varanasi]

MAYA PRAKASH, Director

Footnote: The principal notification was published vide S.O. 2798(E), dated the 03rd November, 2009, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii), dated the 03rd November, 2009 & Amendment was published vide S.O. No. 1377 (E) dated 10th June, 2010.